3679

पत्रांक /   /आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 /15–16/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
दिनांकः: देहरादून :: 15 अक्टूबर, 2015

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्र0), वाणिज्य कर,
देहरादून/त्रषिकेश /हरिद्वार/रुडकी
काशीपुर/बाजपुर/रुद्रपुर/खटीमा

उत्तराखण्ड शासन वित अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 904/2015/24(120)XXVII(8)/2012 दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम,1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारिख से, मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–I में संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त अधिसूचना की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें तथा बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(पीयूष कुमार)
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड

3679

पृ0प0सं0 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2–महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।
3–अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।
4–एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रूद्रपुर जोन।
5–एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
6–ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
7–श्री शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर(विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
8–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रूड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।

9–आई0टी0–अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों / अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।

10–Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IInd Floor 13– आर0 सिंधुआ मार्ग मुम्बई–400001 महाराष्ट्र।

11–डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।

12–अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, माहब्बेवाला औद्यौगिक क्षेत्र देहरादून।

13–प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़ देहरादून।

14–दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़ देहरादून।

15–प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेंडिंग कम्पनी 81–मोती बाजार देहरादून।

16–The whole sale dealers Association 14–आढ़त बाजार देहरादून।

17–प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222 / 5 गांधी ग्राम देहरादून।

18–कार्यालय अधीक्षक / विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

19–समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय देहरादून।

एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर
मुख्यालय देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 /2015/24(120)/XXVII(8)/ 2010
दिनांकः: देहरादूनः: 12 अक्टूबर, 2015

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;
अतएव, अब, "उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008" (अधिनियम सं0 13 वर्ष 2008) की धारा 4 की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, सहर्ष आदेश करते हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट माल की प्रविष्टि पर अनुसूची के स्तम्भ–3 में विनिर्दिष्ट दर पर कर उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत किया जायेगा–

अनुसूची

क्र0 सं0	माल का विवरण	कर की दर
1	2	3
1.	बाहरी प्रदेशों से आने वाला कच्चा पेठा व पेठा मिठाई	माल के मूल्य का 5 प्रतिशत

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

सं0 904/2015/24(120)/XXVII(8)/ 2010 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1–आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3–भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4–सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
5–एन0आई0सी0
6–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव।

7387
13/10/15

विधि ....अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें

DT:/New Vigyapti/ Petha-2(28-09-2015)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 904/2015/24(120)/XXVII(8)/2010 dated 12 October, 2015 for general information.

Government of Uttarakhand

VITTA ANUBHAG-8

NO. 904/2015/24(120)/XXVII(8)/2010

Dehradun :: Dated: 12 October, 2015

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of "the Uttarakhand Tax on Entry of Goods Into Local Areas Act, 2008" (Act No. 13 of 2008) read with section 21 of the Uttar Pradesh General clause Act, 1904(UP Act No. 1 of 1904)(as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to direct that, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the tax on entry of goods specified in column 2 of the Schedule below shall be levied and collected at the rate specified in column 3 of the Schedule-

Schedule

Sl. No.	Description of Goods	Rate of Tax
1	2	3
1.	Raw Petha and Petha Sweet brought from other States	5 Percent of the value of goods

(Amit Singh Negi)
Secretary.

DT:/New Vigyapti/ Petha-2(28-09-2015)